Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में विकास अधिकारी को 50 हजार एवं ग्राम विकास अधिकारी को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज रविवार को दो अलग–अलग शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये फिरोज खां विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 50 हजार रुपये एवं मलजी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटड़ा राणगा, पं.स. कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत लोहारिया, सांतलिया व रामगढ़ में निजी एवं सार्वजनिक कार्य हेतु मनरेगा योजना के निरीक्षण में कमियां नहीं निकालने की एवज में फिरोज खां विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा द्वारा 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये फिरोज खां विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूप में 50 हजार रुपये प्राप्त कर लिये थे।

इसी प्रकार ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत कोटड़ा राणगा में निर्मित किये गये सामुदायिक भवन की यू.सी./सी.सी. जारी करने की एवज में फिरोज खां विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा द्वारा ग्राम विकास अधिकारी मलजी के मार्फत 20 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री हरीशचन्द** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मलजी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटड़ा राणगा, पं.स. कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।